



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2552]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2012/पौष 10, 1934

No. 2552]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2012/PAUSA 10, 1934

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सं. 56/2012

( आयकर )

का.आ. 3069(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतानों पर उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के तहत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा कोई भुगतान विदेशी बैंकों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध किसी बैंक में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, नामतः :—

- i. बैंक गारंटी कमीशन;
  - ii. नकद प्रबंधन सेवा प्रभार;
  - iii. डिमैट खातों के अनुरक्षण पर न्यासी प्रभार;
  - iv. वस्तुओं के लिए भण्डारण सेवाओं हेतु प्रभार;
  - v. जोखिम अंकन (अंडरराइटिंग) सेवा प्रभार;
  - vi. समाशोधन प्रभार (एमआईसीआर प्रभार);
  - vii. व्यापारी संस्थापना और अधिग्राहक बैंक के मध्य संव्यवहार के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कमीशन।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2013 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 56/2012/फा. सं. 257/53/2012-आयकर (बजट)]

अंशु प्रकाश, निदेशक (बजट), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2012

**No. 56/2012**

**INCOME-TAX**

**S.O. 3069(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax under Chapter XVII of the said Act shall be made on the payments of the nature specified below, in case such payment is made by a person to a bank listed in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), excluding a foreign bank, namely :—

- (i) bank guarantee commission;
- (ii) cash management service charges;
- (iii) depository charges on maintenance of DEMAT accounts;
- (iv) charges for warehousing services for commodities;
- (v) underwriting service charges;
- (vi) clearing charges (MICR charges);
- (vii) credit card or debit card commission for transaction between the merchant establishment and acquirer bank.

2. This notification shall come into force from the 1st day of January, 2013.

[Notification No. 56/2012/F. No. 275/53/2012-IT(B)]

ANSHU PRAKASH, Director (Budget), CBDT